आदेश की क्रम सं0 और तारीख	**उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।** (Email id :- dccourt.grd@gmail.com) **दाखिल–खारीज रिवीजन वाद सं0–22/2015** **विश्वनाथ पंडित वगैरह –बनाम– दशरथ पंडित वगैरह**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3

17.02.2021 अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। यह रिवीजनवाद अपीलार्थी विश्वनाथ पंडित वगैरह के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा The Bihar Tenants Holdings(Maintenance of Records) act, 1973 की धारा 16 के तहत् भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह के वाद सं0–07/2014–15 में दिनांक 23.04.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वादगत भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

अंचल	मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	कुल रकवा	भूमि की किस्म
बिरनी	मरगोड़ा	5	420,422,423,424	13डी0	रैयती
		12	624,421,425,622,622	47¾ डी0	
		13	219	12डी0	
			कुल रकवा :–	**72¾ डी0**	

वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है :– "अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित ब्यौरे की भूमि को निबंधित केवाला सं0 5525, दिनांक 08.05.2007 के माध्यम से खरीदगी के पश्चात् दाखिल–खारीज हेतु अंचल कार्यालय, बिरनी में आवेदन दिया गया। अंचल अधिकारी, बिरनी ने वादगत भूमि पर क्रेता का दखल न होने कारण दिनांक 04.12.2013 को दाखिल–खारीज हेतु दिए गए उक्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया। अंचल अधिकारी, बिरनी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह के न्यायालय में अपीलावाद दायर किया, जहाँ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह ने अपने आदेश दिनांक 23.04.2015 में अपीलार्थी के अपील को खारीज करते हुए यह प्रतिवेदित किया है कि उक्त वाद में जमाबंदी संयुक्त परिवार के बुजूर्गों के नाम से कायम है, जिसमें परिवर्त्तन अपेक्षित नहीं है। यह मामला परिवार के सदस्यों के बीच का है, जिसमें तीन पीढ़ी के सदस्यों के बीच विवाद है। चूँकि वादगत भूमि पर दखल परिवार के सदस्यों का है, इसलिए इस विवाद का निपटारा सक्षम न्यायालय(माननीय सिवील न्यायालय) द्वारा ही संभव है। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में रिवीजन वाद दायर किया। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क की स्वीकृति प्रदान करते हुए वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई तथा सुनवाई की निर्धारित तिथियों में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।"

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया है :–

यह कि वादगत भूमि अपीलार्थी को डालो पंडित एवं गंगीया देवी द्वारा निबंधित विक्रय पत्र दस्तावेज सं0 5525, दिनांक 08.05.2007 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसपर विक्रेतागण शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में है। विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम है तथा लगान रसीद निर्गत हो रहा है। वादगत भूमि के टाइटल(स्वत्व) के निर्धारण का अधिकार अंचल अधिकारी, बिरनी को प्राप्त नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित

आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के नाम से दाखिल–खारीज कर जमाबंदी कायम करते हुए अपीलार्थी के अपील को स्वीकार करने की कृपा की जाय।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया है :–

यह कि वादगत भूमि विपक्षीगण के माता–पिता डालो कुम्हार व गंगीया देवी की खरीदगी भूमि है व उन्हीं के नाम से जमाबंदी कायम है। विपक्षी का संयुक्त परिवार माता गंगीया देवी, पिता डालो पंडित तथा तीनों पुत्रों क्रमशः दशरथ पंडित, मदन पंडित एवं नूनेश्वर पंडित को समाहित करता है। तीनों पुत्रों के बीच 1/3 हिस्से में संयुक्त परिवार की संपत्ति का बंटवारा हुआ है, जिसमें बंटवारे के अनुसार माता–पिता का तीनों भाई भरन–पोषण करते है। संयुक्त परिवार की सारी संपत्ति तीनों भाईयों अर्थात् दशरथ पंडित(विपक्षी सं0–01), मदन पंडित(विपक्षी सं0–02) एवं नूनेश्वर पंडित(विपक्षी सं0–03) को बंटवारा के उपरांत प्राप्त है तथा सभी चल–अचल संपत्ति तीनों भाईयों के दखल–कब्जे में है। बंटवारा के पश्चात् डालो कुम्हार व गंगीया देवी के कब्जे में कोई जमीन शेष नहीं बची है, अतः उन्हें वादगत जमीन को बिक्री करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

–: विचारण व निर्णय :–

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट होता है कि वादगत भूमि की जमाबंदी संयुक्त परिवार के बुजूर्गों के नाम से कायम है, जिसमें परिवर्त्तन अपेक्षित नहीं है। हल्का कर्मचारी व अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन तथा अंचल अधिकारी, बिरनी के आदेश से स्पष्ट है कि वादगत भूमि पर संयुक्त परिवार के सदस्यों का दखल–कब्जा है न कि अपीलार्थी का। चूँकि यह मामला परिवार के सदस्यों के बीच बंटवारा के विवाद से संबंधित है, अतः यह मामला Partition Suit से संबंधित वाद प्रतीत होता है, जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय(माननीय व्यवहार न्यायालय) द्वारा ही संभव है। न्यायालय के संज्ञान में यह भी तथ्य लाया गया, कि वादगत भूमि से संबंधित Title Suit No.-283/2016 माननीय व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी विश्वनाथ पंडित वगैरह द्वारा दायर अपील को निरस्त करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2015 को यथावत रखा जाता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत कराते हुए LCR निम्न न्यायालय भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2021.09.28 18:02:03 +05:30
Location: 192.168.5.138